

क्रमांक- एक 5(प)(43)एसीटीएडी/माडा/SCA/बून्दी/2019-20/24109

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन मुख्य परियोजना अधिकारी (माडा), जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.), बून्दी।

विषय- विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

प्रसंग- प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक- 19374-400 दिनांक 26.07.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक प्रशासनिक स्वीकृति के अनुक्रम में जिला परिषद, बून्दी के पत्रांक 3111 दिनांक 03.08.2021 से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति के क्रम में सी.सी. रोड मय नाली निर्माण कार्य हेतु विभागीय परिषद क्रमांक 9609-34 दिनांक 12.03.2021 के अनुसार कन्स्ट्रिन्जेन्सी चार्ज 1.50 प्रतिशत अनुमत करते हुए, जिसकी अन्तर्गत 0.25 प्रतिशत आयुक्तालय के खाते में आवश्यक मानव संसाधन के नियोजन, क्षेत्रीय निरीक्षण हेतु वाहन उपलब्ध कराने एवं थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन के लिए मॉनिटरिंग हेतु आरक्षित रखते हुए बून्दी जिले के निम्न निर्माण कार्यों की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है-

क्र. सं.	कार्य का नाम	प्रशा.स्वीकृति		तकनीकी स्वीकृति		वित्तीय स्वीकृति लाख रु	अनुमत कन्स्ट्रिन्जेन्सी राशि 1.5% (रु.में)	अनुमत में से जिला परिषद को देय राशि 1.25%(रु.में)	अनुमत में से आयुक्त खाते में आरक्षित राशि 0.25%(रु.में)	देय राशि (प्रथम किश्त) लाख रु
		क्रमांक / दिनांक	राशि लाख रु	क्रमांक / दिनांक	राशि लाख रु					
1	सीसी सडक एवं नाली निर्माण टाकूर जी के मन्दिर से हनुमान मन्दिर होते हुए कालका माता तक, बालोद	3 19374-400 / 26.07.2021	4 7.50	5 42 / 27.07.2021	6 7.50	7 7.50	8 0.1125	9 0.0938	10 0.0188	11 5.00
2.	सीसी सडक मय नाली निर्माण हरिशंकर मीणा के मकान से गौरव पथ रोड तक, बालोद	19374-400 / 26.07.2021	5.50	43 / 27.07.2021	5.50	5.50	0.0825	0.0688	0.0138	4.00
3.	सीसी रोड मय नाली निर्माण प्रहलाद मीणा के मकान से विद्यालय तक, बालोद	19374-400 / 26.07.2021	8.00	44 / 27.07.2021	8.00	8.00	0.1200	0.1000	0.0200	6.00
4.	सीसी रोड मय नाली निर्माण कार्य सुरेश मीणा के मकान से प्रहलाद मीणा के मकान तक, बालोद	19374-400 / 26.07.2021	5.00	45 / 27.07.2021	5.00	5.00	0.0750	0.0625	0.0125	4.00
	योग		26.00		26.00	26.00	0.39	0.3251	0.0651	19.00

उपरोक्त कार्य हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन मुख्य परियोजना अधिकारी (माडा), जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.), बून्दी को राज्य सरकार द्वारा जारी स्वीकृति संख्या 56/2019-20 से राशि रु. 15.65 लाख एवं स्वीकृति संख्या 94/2019-20 से राशि रु. 4.35 लाख हस्तांतरित की जायेगी।

राजस्थान सरकार
आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

कार्यों के संपादन में निम्नलिखित शर्तों की पालना सुनिश्चित की जाये-

1. यदि उपरोक्त स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब सूचित किया जावे। दोहरे व्यय के लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
2. कार्यकारी एजेन्सी एवं तकनीकी स्वीकृति जारीकर्ता अधिकारी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका की शर्तों के अनुसार कार्य का सम्पादन गुणवत्तापूर्वक किया जाने हेतु उत्तरदायी होगी।
3. निर्वाह सार्वजनिक भूमि पर ही कार्य कराया जावे।
4. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों पर ही तकनीकी एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण-पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लौटाई जावे।
5. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं संशोधन नियम, 2013 तथा सामान्य वित्त एवं लेखा नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावे।
6. ग्रामीण कार्य निर्देशिका के प्रावधानों के अनुसार कार्यों का सम्पादन किया जावेगा एवं नियमानुसार उपयोगिता/कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर शेष राशि उपलब्ध करायेगे।
7. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy में comm.tad@gmail.com पर प्रेषित करना सुनिश्चित करावे।


(प्रज्ञा कवलरमानी)
आयुक्त

दिनांक-

क्रमांक- एक 5(प)एसीटीएडी/माडा/SCA/बून्दी/2019-20/
प्रतिलिपी -

1. विशिष्ट सहायक, मां.मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, बून्दी।
4. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन मुख्य परियोजना अधिकारी (माडा), जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र), बून्दी को राज्य सरकार द्वारा जारी स्वीकृति संख्या 56/2019-20 से राशि रु. 15.65 लाख एवं स्वीकृति संख्या 94/2019-20 से राशि रु. 4.35 लाख हस्तांतरित करावे।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, केशवराय पाटन, जिला- बून्दी।
6. विकास मोनिटरिंग कार्यालय हाजा।
7. निदेशक, मोनिटरिंग कार्यालय हाजा।
8. लेखाकार (माडा), कार्यालय हाजा।
9. माडा मॉनिटरिंग, कार्यालय हाजा।
10. कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय हाजा।
10. अभियांत्रिकी शाखा, कार्यालय हाजा।
11. गार्ड फाइल।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)